(20)

संख्या–217बीपी/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.,
शक्ति भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 20 अगस्त, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–1188(1)/35–आ–1/2013 दिनांक 11 जुलाई, 2013 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण नामक परियोजना को रू. 99.67 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 69.77 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी और विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि व्यय कर ली गई है। अतः परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये अवशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष रू 29.90 करोड़ (रूपये उन्तीस करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– संदर्भित शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 2013 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2– प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/पीएलए में नहीं रखी जायेगी और धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत में सम्मिलित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व ऊर्जा विभाग तथा उ.प्र. पावर कारपोरशन लि. का होगा और तदनुसार नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी एवं योजना आयोग, भारत सरकार तथा नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

7– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

2– स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट के अनुदान संख्या–40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष–4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं–80–निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–2457/दस–2014–231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–217 (1)/35–आ–1/2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, लखनऊ।
10– वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11– गार्ड फाईल।
12– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
13– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।